निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 30/2013(रे0वाद)
दायर दिनांक – 05/03/2013
निर्णय दिनांक – 28/01/2026

अनवान

1. डाउराम पिता चुनीलाल जाति खटीक निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

—प्रतिवादी

उपस्थित :—
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से— पैरोकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी को दिनांक 19/06/1992 को ग्राम अर्जुनगढ ग्राम अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज०) की बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 372 में 2 बिघा (दो बिघा) भूमि राजस्थान राज्य द्वारा सरकारी गठित गठित आवंटन कमेटी (समस्या समाधान शिवीर) में जिसके अध्यक्ष श्रीमान् उप जिलाधिश महोदय भीम राज० होकर गैर खातेदारी हक से आवंटन हुई है और जिसका कब्जा वादी को राज्य सरकार द्वारा मोके पर सुपुर्द कर दिया गया और तब से श्लगायत अब तक इस वाद की उक्त भूमि पर कब्जा वादी का निरन्तर व निर्विधन, रूप से बराबर चला आया है और वादी ने इस भूमि को जो बेरान थी को करीब 1,00,000/— रुपये एक लाख रुपये खर्च कर आबाद की है। जिससे यह जमीन वादी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने के बजाय खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा का यह वाद प्रस्तुत है । वादी को जुने इस वाद पत्र की कालम, संख्या 1 में वर्णित जमीन राज्य सरकार (राज०) से नियमानुसार गठित कमेटी में आवंटन हुई है और इसका मुकदमा नम्बर 66/92 माननीय उपखण्ड अधिकारी महोद्रय भीम जिला राजसमन्दः (राज०) के यंहा दायर हुआ है। नियमानुसारं वादी को जो इस वाद की कलम संख्या 1 की जमीन राजस्थान राज्य से आवंटन हुई है जो वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी द्वारा एवं उप जिलाधीश महोदय भीम

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

द्वारा खाते दर्ज करा देनी चाहिये थी लेकिन किसी तरह ईस वाद से संबंधित जमीन वादी के खाते दर्ज नहीं हो पाई है और यह जमीन बिलानाम में ही चल रही है जिससे वादी को जो इस वाद की उक्त वर्णित जमीन राजस्थान राज्य से आवंटन हुई है और वो वादी के कब्जे कास्त में चली आई है जिसे वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने के लिए यह वाद प्रस्तुत है। वादी ने इस दावे से पूर्व प्रतिवादी को एंव उप जिलाधीश महोदय भीम को इस वाद की जमीन वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है किन्तु वादी के नाम पर जमाबंदी में इस वाद की जमीन खाते दर्ज नहीं हो पाने से वादी को इस वाद के लिये विवश होना पडा है। वादी की निम्न प्रार्थना है इस वाद की कलम संख्या 1 की भूमि खसरा नंम्बर 372 बिलानाम वाकें ग्राम अर्जुनगढ तहसील देवगढ राजस्थान में जो 2 बीघा जमीन राजस्थान राज्य से वादी को दिनांक 19 / 06 / 1992 को नियमानुसार आवंटन होकर वादी को कब्जे में चली आई है उस वादी के कब्जे की जमीन का प्रकरण संख्या 66 / 92 उपखण्ड अधिकारी महोदय भीम जिला राजसमन्द (राज०) में दायर होने की घोषणा कराई जावे । वादी ने जो इस वाद की उक्त वर्णित भूमि जो गैर खातेदारी हक से आवंटन हुई थी जिसे एक लाख रुपया खर्च कर इस बेरान जमीन को आबाद की है जो वादी के कब्जे की चली आई है जो मोके पर वादी के कब्जे की जमीन है उसे वादी के नाम पर जमाबंदी में खातेदार के हक से दर्ज कराई जाने की भी घोषणा कराई जावे इसका आदेश प्रतिवादी के नाम पर जारी कराया जावें ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

मामलें में प्रस्तुत दावा एवं जवाब दावें के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया कि ग्राम अर्जुनगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 372 में से 02 बीघा भूमि वादी को आवंटित हुई जिसे वादी गैरखातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है।

   जिम्मे वादी

2. आया वादी वक्त आवंटन से निरन्तर काबिज हो काबिल काश्त है।

   जिम्मे वादी

3. आया उक्त वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित वादी के नाम पर कोई नामान्तरण दर्ज नहीं है।

   जिम्मे प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

4. आया आराजी संख्या 372 के सेटलमेन्ट अनुसार नवीन आराजी पर वादी का कब्जा नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

वादी एवं प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे उभय पक्ष के साक्ष्य बंद किये गए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली किया गया।

निर्णय करने से पूर्व राजरथान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा।

उक्त नियमों में नियम 15 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

15. Order of Allotment. –

(1) As soon as an order of allotment is passed, the Sub-Divisional Officer shall-

(a) give necessary information to the Patwari then and there if the Patwari is present on the spot; and

(b) direct the Patwari to make over possession of the allotted land to the allottee forthwith;

(c) where the allottee is not actually given possession of the allotted land within one month from the date of the order of allotment he shall apply to the Collector who shall enforce the order unless it is stayed by a competent authority.

(2) An order to allotment shall be in Form V and a copy of the same together with a trace of the land, shall be given to the allottee.

(3) Physical possession of the allotted land shall be delivered to the allottee within fifteen days from the date of allotment and, thereupon, a sanad shall be issued in Form VI to the allottee 15[on payment of a fee of rupees one hundred for irrigated land and rupees fifty for unirrigated land] to be credited to Head "IX-Land Revenue (i) Miscellaneous-'VII-Miscellaneous.

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने से वादी का साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहा जिससे प्रकरण में उनकी साक्ष्य बन्द की गयी।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेज आवंटन आदेश के रूप में अभिलिखित कर प्रस्तुत किया

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

गया है। वस्तुतः वह आवेदन पत्र है जिसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है और उसी में यह अंकन है कि भूमि आवंटन की गई है लेकिन आवंटन से संबंधित नियम 15 के संदर्भ में स्पष्ट Form V में आवंटन आदेश एवं Form VI में निश्चित शुल्क जमा कर सनद जारी की जाती है। यह दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आवंटन की प्रक्रिया को वैधानिक स्थिति प्रदान करते हैं लेकिन इस प्रकार के दोनों दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है जिसके कारण संभवतः गैर खातेदारी का नामान्तरण नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है तथापि आवंटन आदेश के अनुपालन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. उक्त तनकी संख्या 01 जिम्में वादी होकर वादी ने अपनी तनकीयात के समर्थन में गवाह एवं साक्ष्य पेश नहीं किए। वादी द्वारा आवंटन आदेश के संबंध में वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं करने वादी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहा है। अतः तनकी वादी के विरूद्व निर्णित कि जाती है।
2. उक्त तनकी संख्या 02 जिम्में वादी होकर तनकी संख्या 01 के अनुसरण में वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस व स्वतंत्र साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत कब्जा के संबंध में दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे जिससे उक्त तनकी सिद्व हो सकें। अतः तनकी वादी के विरूद्व निर्णित कि जाती है।
3. उक्त तनकी संख्या 03 जिम्मे प्रतिवादी होकर पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, देवगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार वादी के पक्ष में आंवटन आदेश संबंधित नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
4. उक्त तनकी संख्या 04 जिम्मे प्रतिवादी होकर तनकी संख्या 03 के अनुसरण में पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 372 के सेटलमेन्ट अनुसार बने नवीन आराजी संख्या पर वादी का कब्जा नहीं है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वास्तविक एवं सतत कब्जा सिद्व करने हेतु कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी अधिवक्ता केवल आवंटन आदेश का प्रस्तुत किया जाना खातेदार अधिकारी अथवा कब्जा सिद्व नहीं करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 एवं 102 के अनुसार जो पक्ष किसी अधिकार का दावा करता है, उसे उसका प्रमाण देना अनिवार्य है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

डाउराम बनाम सरकार
30/2013 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–28/01/2026

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 91 के अन्तर्गत खातेदार अधिकार की घोषणा तभी की जा सकती है जब वादी आवंटन की वैधता, कब्जा अधिकार का क्रियान्वयन साक्ष्य द्वारा सिद्ध करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप मैं यह पाता हूँ कि वादी अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है। इसलिए दावा वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

डाउराम बनाम सरकार
30/2013 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–28/01/2026

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–30/2013

अनवान

1. डाउराम पिता चुनीलाल जाति खटीक निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

दावा वादी डिक्री किया जाता है अतः वादी का वाद वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़, जिला राजसमन्द